UPKJ010018422018

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधि०)
कक्ष सं०–1, कन्नौज।
उपस्थित– श्री हरि प्रसाद (एच०जे०एस०)

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–350/2018

उत्तर प्रदेश सरकार ....**अभियोजन पक्ष**

बनाम

शिव नरायन पुत्र स्व० कन्हैयालाल,

निवासी–ग्राम सतौरा थाना तिर्वा जनपद कन्नौज। .....**अभियुक्त**

मुकदमा अपराध संख्या–779/2017

धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003

थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज।

निर्णय

1. उपरोक्त दाण्डिक वाद थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज के मुकदमा अपराध संख्या–779/2017 में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है। इस मामले में अभियुक्त **शिव नरायन** के विरुद्ध **धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003** का अपराध आरोपित है।

2. इस मामले का पंजीकरण सम्बन्धित थाने में अभियोगी अवर अभियंता वीर बहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/तहरीर (प्रदर्श क–1) के आधार पर किया गया जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 27.10.2017 को उच्चाधिकारियों के निर्देशन में बिजली चोरी रोको अभियान एवं राजस्व् वसूली अभियान के तहत समय लगभग 13.25 बजे से 16.30 बजे तक सघन विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें मैं स्वयं वीर बहादुर सिंह अवर अभियंता, सुधांशू श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी तिर्वा, रामकरन सिंह टी.जी.–2 बेहरिन संविदाकर्मी लाइनमैन अविनाश एवं श्यामबाबू साथ ग्राम सतौरा, ग्राम वाहिदपुर के ग्रामों में पूर्व में बकाये बिल पर कटे संयोजनों को चेक किया गया तो अभियुक्त के पिता कन्हैया लाल पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी सतौरा जनपद कन्नौज बिना अवैध रूप से संयोजनों को जोड़कर अपने परिसर में निजी नलकूपों से सिचांई हो रही थी। अतः मुल्जिम उपरोक्त के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.30 11:16:13 IST
Reason: ACCUSED AQUITTAL
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ

138 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाये।

3. इस मामले में स्थानीय थाना द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त **शिव नरायन** के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लेने एवं आवश्यक विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त **दिनांक 03.08.2023** को अभियुक्त **शिव नरायन** के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने स्वयं के विरूद्ध विरचित आरोप से इन्कार करते हुये विचारण की मांग की।

4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी वादी मुकदमा/पी०डब्लू० 1 अवर अभियंता वीर वीर बहादुर सिंह, पी.डब्लू.–2 रामकरन टी.जी.–2, पी.डब्लू.–3 संविदाकर्मी श्यामबाबू व पी.डब्लू.–4 उपनिरीक्षक प्रताप सिंह को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर प्रदर्श क–1, प्रदर्श क–2, नक्शा नजरी, पी.डब्लू.–3 आरोपपत्र, चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क–4 जी.टी. प्रदर्श क–5 दर्शांकित कराया गया है।

5. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने कथन किया है कि मेरे विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत है। मेरे विरुद्ध झूंठा मुकदमा लिखा दिया। अभियुक्त की तरफ से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. इस दाण्डिक वाद में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विरचित आरोप के निर्धारण के लिये प्राप्त साक्ष्यों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा रहा है–

7. अभियोजन साक्षी/वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 **अवर अभियंता वीर बहादुर सिंह** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.10.2017 को उच्चाधिकारियों के निर्देशन में बिजली चोरी रोको अभियान एवं राजस्व वसूली अभियान के तहत समय लगभग 13.25 बजे से 16.30 बजे के मध्य सघन विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें मैं स्वयं अवर अभियंता व एस.डी.ओ सुधांशू श्रीवास्तव, टी.जी. 2 रामकरन, संविदाकर्मी अविनाश व श्यामबाबू के साथ पूर्व में बकाया बिल पर काटे संयोजनों को चेकिंग किये गये जिसमें ज्ञात हुआ कि कन्हैया लाल भी गैर कानूनी ढंग से विद्युत उपयोग करते पाया गया जिस आधार पर अभियुक्त के यहां पर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। घटना के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर मेरे लेख व हस्तलेख में है जिसकी प्रमाणित छायाप्रति कागज संख्या 4A/5 पत्रावली में मौजूद है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। इस प्रार्थना पत्र पर एस.डी.ओ. सुधांशु श्रीवास्तव का हस्ताक्षर कराया था। टी.जी. 2

रामकरन, संविदाकर्मी अविनाश का हस्ताक्षर कराया था। तहरीर की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न पत्रावली है। जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। दौरान विवेचना ज्ञात हुआ कि कन्हैया लाल का निधन हो चुका है और उनके नाम जारी कनेक्शन का अवैधानिक रूप से उनका पुत्र शिवनरायन उपभोग कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने संबंधित विवेचक को यह बात बतायी थी। दरोगा जी ने घटनास्थल का नक्शा नजरी मेरी निशानदेही पर बनाया था।

साक्षी **पी.डब्लू.–1 वीर बहादुर सिंह** ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैं चेकिंग करने अपने उच्चाधिकारियों के आदेश पर गया था। उच्चाधिकारियों के मौखिक आदेश पर गया था। विद्युत अधिनियम के एक्ट में मौखिक या लिखित आदेश के वापस चेकिंग करने के सम्बन्ध में कुछ कानून दिया गया या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। रवानगी के सम्बन्ध में विभाग में ऐसा कोई रजिस्टर नहीं होता है जिस पर हम हस्ताक्षर करके जाते हों। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। विद्युत चोरी शिवनारायन को करते हुये पाया गया था। घटनास्थल का नक्शा नजरी मेरी मौजूदगी में बनाया गया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्त पर विद्युत का कोई बकाया राशि न हो और हम लोगों ने उसके खिलाफ झूंठा मुकदमा लिखा दिया हो।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–1 के बयान से यह विदित होता है कि प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन अभियुक्त शिवनरायन के पिता कन्हैयालाल के नाम था जिसका उपयोग अभियुक्त शिवनरायन को किया जाना बताया गया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त के पिता मृतक कन्हैया लाल के नाम दर्ज करायी गयी है अर्थात अभियुक्त को मौके पर विद्युत चोरी का उपयोग करते हुये नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी का साक्ष्य स्वयं संदेह की परिधि में आता है।

8. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 **टी.जी.–2 रामकरन सिंह** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.10.2017 को मैं उच्चाधिकारियों के निर्देशन में बिजली चोरी रोको अभियान एवं राजस्व वसूली अभियान के तहत समय लगभग 13.25 बजे से 16.30 बजे के मध्य सघन विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें जे.ई. वीर बहादुर सिंह, एस.डी.ओ. सुधांशु श्रीवास्तव व संविदाकर्मी अविनाश व श्यामबाबू के साथ चेकिंग हेतु पहुंचा तो पाया कि कन्हैयालाल के यहां विधि विरुद्ध तरीके से पूर्व में विद्युत विभाग की बकाया राशि जमा न करने पर कनेक्शन संख्या 950/2305/008418 का उपभोग कन्हैया लाल के पुत्र शिवनरायन के द्वारा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में उनके कनेक्शन को विच्छेदित कर हिदायत दी गयी जिसके आधार पर जे.ई. वीर बहादुर के द्वारा अपने हस्तलेख में तहरीर लिखी गयी जिसपर जे.ई. वीर बहादुर, एस.डी.ओ. सुधांशु

श्रीवास्तव, मैंने स्वयं, संविदाकर्मी अविनाश व श्यामबाबू ने अपना–अपना हस्ताक्षर बनाया था। उस तहरीर की छायाप्रति पत्रावली में कागज संख्या 4A/5 मौजूद है। उस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। इस तहरीर की प्रमाणित छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है। संबंधित विवेचक ने मेरा बयान लिया था। यही बातें मैंने दरोगा जी को बतायी थी।

साक्षी **पी.डब्लू.–2 रामकरन सिंह** ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैं चेकिंग करने अपने उच्चाधिकारियों के आदेश पर गया था। मैं चेकिंग करने मौखिक आदेश पर गया था। अधिकारी बकाये की लिस्ट देते हैं उसी आधार पर वसूली करते हैं। जिस समय रवानगी हुई थी, कोई लेखा जोखा नहीं है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। मौके पर शिवनारायन का विद्युत चोरी करना बताया गया था। दरोगा जी ने घटनास्थल का नक्शा नजरी मेरे सामने बनाया था। धारा–138 विद्युत अधिनियम बकाये पर, धारा–135 विद्युत अधिनियम फेज चोरी का मुकदमा होता है। यह कहना गलत है कि मैने अपने उच्चाधिकारियों के कहने पर यह झूठा मुकदमा लिखा दिया हो।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–2 के बयान से यह विदित होता है कि उक्त साक्षी को घटनास्थल मौजूद होना पाया गया है किन्तु स्वयं वादी मुकदमा के बयान से यह बात साबित हो चुकी है कि मामला मृतक के खिलाफ लिखाया गया है जोकि प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होने की श्रेणी में माना जा सकता है। ऐसीस्थिति में उक्त साक्षी का साक्ष्य विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

9. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–3 संविदाकर्मी श्यामबाबू** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.10.2017 को उच्चाधिकारियों के निर्देशन में बिजली चोरी रोको अभियान एवं राजस्व वसूली अभियान के तहत समय लगभग 13.25 बजे से 16.30 बजे के मध्य सघन विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें मैं स्वयं, जे.ई. वीर बहादुर सिंह, एस.डी.ओ. सुधांशु श्रीवास्तव, टी.जी. 2 बेहरिन रामकरन, संविदाकर्मी लाइनमैन अविनाश के साथ हम लोगों ने सामूहिक रूप से ग्राम सतौरा व वाहिदपुर गांव के पूर्व में बकाया बिल पर काटे गये संयोजनों को चेक किया गया तो पाया कि कन्हैया लाल पुत्र रामेश्वर दयाल को पूर्व में बकाया विद्युत बिल के कारण संयोजन काट दिया गया था। इस संयोजन को कन्हैया लाल के पुत्र शिवनरायन के कब्जे में है, क्योंकि ट्यूबवेल की ताला चाबी शिवनरायन के पास में ही रहती है। शिवनरायन के द्वारा काटे गये संयोजन उपरोक्त के बावत बिना विद्युत बकाया बिल जमा किये संयोजन को अवैधानिक रूप से जोड़कर उपभोग कर रहे थे। घटना के सम्बन्ध में तहरीर जे.ई. वीर बहादुर सिंह जी ने अपने हस्तलेख में तैयार की थी जिसकी छायाप्रति पत्रावली में मौजूद कागज संख्या 4A/5

मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–1** पड़ा हुआ है। इस तहरीर पर जे.ई. साहब ने अपना हस्ताक्षर व अन्य लोगों के हस्ताक्षर कराये थे। जे.ई. के साथ मैं थाने नहीं गया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

साक्षी **पी.डब्लू.–3 संविदाकर्मी श्यामबाबू** ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि चेकिंग करने मैं, जे.ई. साहब, एस.डी.ओ. साहब और लाइनमैन गए थे। सबसे पहले हम लोग सतौरा, वाहिदपुर चेकिंग के लिये पहुंचे। बकाया विद्युत बिल यदि अभियुक्त शिव नारायन जमा कर दे तो मुकदमा समाप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। यह कहना गलत है कि नाजायज धनराशि अर्जित करने के लिए मैंने मुल्जिम के विरुद्ध झूंठा मुकदमा लिखा दिया हो। मेरा बेहरिन क्षेत्र नहीं लगता है। मेरा मतौली क्षेत्र है।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–3 के बयान से यह विदित होता है कि उक्त साक्षी को घटनास्थल मौजूद होना पाया गया है किन्तु स्वयं वादी मुकदमा के बयान से यह बात साबित हो चुकी है कि मामला मृतक के खिलाफ लिखाया गया है जोकि प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होने की श्रेणी में माना जा सकता है। ऐसीस्थिति में उक्त साक्षी का साक्ष्य विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

10. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 4 उपनिरीक्षक प्रताप सिंह** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.11.2017 को मैं चौकी प्रभारी पचोर थाना तिर्वा जिला कन्नौज पर तैनात था उस दिन मुकदमा अपराध संख्या–779/2017 अपराध अन्तर्गत धारा 138 (बी) विद्युत अधिनियम बनाम शिवनरायन की विवेचना मेरे सुपुर्द हुई थी विवेचना मिलने के उपरान्त नकल एफ०आई०आर०, नकल कायमी मुकदमा का अवलोकन कर संलग्न केस डायरी किया तथा इसी दिन बयान एफ०आई०आर० लेखक हेड का० विनय कुमार दुबे का बयान अंकित किया। दिनांक 04.11.2017 को सी०डी०–2 में बयान वादी मुकदमा अवर अभियन्त श्री वीर बहादुर सिंह का अंकित किया तथा इसी दिन गवाह उपखण्ड अधिकारी तिर्वा–2 सुधान्शू श्रीवास्तव, रामकरन सिंह टी०जी०–2 बेहरिन संविदा कर्मी लाइनमैन अविनाश, संविदा कर्मी श्यामबाबू के अंकित किये। इसी दिन वादी की निशानदेही पर मौके पर जाकर निरीक्षण घटना स्थल किया तथा नक्शा नजरी तैयार किया नक्शा नजरी पत्रावली पर कागज संख्या 06ए पर मौजूद है इसपर **प्रदर्श क–2** अंकित किया गया। दिनांक 09.11.2017 का सी०डी०–3 में धारा 41 (1) सी०आर०पी०सी० का नोटिस अभियुक्त शिव नरायन पर तामील करते हुये उसका बयान अंकित किया। इसी दिनांक को समस्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त शिव नरायन के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 (बी) विद्युत अधिनियम के तहत जुर्म साबित पाते हुये आरोप पत्र संख्या 362/2017 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आरोप पत्र पत्रावली में कागज संख्या 3A/1 लगायत 3A/2 पर उपलब्ध है इसपर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ इसपर **प्रदर्श क–3** अंकित किया गया। इस मामले की चिक एफ०आई०आर० हेड कां० विनय कुमार के द्वारा कम्प्यूटर पर टाइप करवाकर किता की गई थी। हेड कां० विनय कुमार को मैंने लिखते पढ़ते देखा है, मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। चिक एफ०आई०आर० की कम्प्यूटर प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 4A/1 लगायत 4A/4 पर उपलब्ध है जिसपर तत्कालीन थाना प्रभारी महोदय के हस्ताक्षर मौजूद है जिसपर **प्रदर्श क–4** अंकित किया गया। इस मुकदमे का खुलासा उक्त हेड कां० विनय कुमार के द्वारा दिनाक 27.10.2017 को जी०डी० रपट सख्या 38 समय 18:10 बजे पर किया गया था जी०डी० की कम्प्यूटर टाइपशुदा प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 5A/5 पर मौजूद है जिस पर थाने की मोहर लगी है। इस पर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया।

साक्षी **पी०डब्लू० 4 उपनिरीक्षक प्रताप सिंह** ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मुझे इस मामले की विवेचना 27.10.2017 को मिली थी। इस मुकदमे में वादी का बयान मेरे द्वारा दिनांक 04.11.2017 को लिया गया था तथा इसी दिन अन्य गवाहों से भी बयान लिये थे। कटे हुये कनेक्शन को ट्रांसफार्मर से जोड़ा गया था। ट्रांसफार्मर से कनेक्शन को कोई व्यक्ति जोड़ सकता है या नहीं, मैं नहीं बता सकता। लेकिन दौरान चेकिंग मौके से जुड़ा हुआ पाया गया था। वहां आसपास के पब्लिक के लोगों से गवाही देने के कहा गया था, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ था। इन लोगों के नाम पते नोट नहीं किये थे, क्योंकि वे नहीं बताये थे। घटनास्थल के पूर्व में ट्रांसफार्मर था, पश्चिम में समर सेबिल लगा था, उत्तर में याद नहीं है लेकिन फसलें खड़ी थी तथा खाली खेत थे तथा दक्षिण में क्या था, याद नहीं है। मौके पर मुझे कुछ भी नहीं मिला था। मौके पर मुझे तार नहीं मिला था। जे.ई. साहब ने बताया था कि जुड़ा हुआ संयोजन वे अपने साथ काटकर ले गये थे। मेरे साथ मौके पर वादी श्री वीर बहादुर गये थे। इसके अलावा मेरे साथ और कोई नहीं गया था। मौके पर मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला था। यह कहना गलत है कि मैंने फर्जी तरीके से विवेचना कर दी थी तथा झूठा आरोपपत्र प्रेषित कर दिया हो।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–4 के बयान से यह विदित होता है कि उक्त साक्षी का साक्ष्य औपचारिक प्रकृति का है। इस साक्षी ने मात्र प्रपत्रों को साबित किया है।

11. पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि पत्रावली में तहरीर में अंकित शेष साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिसका कोई कारण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसप्रकार अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–138 विद्युत अधिनियम 2003 को साक्षी वादी

मुकदमा/पी०डब्लू० 1 अवर अभियंता वीर वीर बहादुर सिंह, पी.डब्लू.–2 रामकरन टी.जी.–2, पी.डब्लू.–3 संविदाकर्मी श्यामबावू व पी.डब्लू.–4 उपनिरीक्षक प्रताप सिंह के बयान से साबित होना नहीं कहा जा सकता है।

12. राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने कथन किया है कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर से जोडकर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जाना साबित हो रहा है। अतः अभियुक्त इस मामले में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

13. अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अभियुक्त ने कोई विद्युत चोरी नहीं की। अभियुक्त के विरुद्ध झूंठी गवाही दी गई। अभियुक्त द्वारा इस मामले से सम्बन्धित शमन योग्य समस्त धनराशि जमा कर दिया गया है। अभियुक्त पर अब कोई भी देय शेष नहीं है। अभियुक्त इस मामले में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

14. मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रपत्रों, पक्षों के अभिकथनों तथा प्रकटित परिस्थितियों का समग्र परिशीलन किया। अभियुक्त के विरुद्ध विद्युत चोरी के इस एफ.आई.आर. में तथ्य है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जा रहा था।

15. धारा–138 विद्युत अधिनियम विद्युत चोरी के अपराध में यह विनिश्चयन आवश्यक होता है कि कथित विद्युत चोरी कितने विद्युत अधिभार से किया जा रहा था तथा इस विद्युत चोरी से अभियुक्त को कितना वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में भी अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले में स्वतंत्र साक्षीगणों के साक्ष्य का अभाव है। विद्युत मीटर की कोई यांत्रिक/तकनीकी जांच आख्या प्रस्तुत नहीं है जो विद्युत चोरी के तथ्य को पुष्टि करता हो।

16. धारा–138 विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत चोरी के आरोप को साबित करने के लिये आवश्यक विशिष्टियों का साक्ष्य न तो विवेचना में संकलित किया गया और न ही विचारण के दौरान उसे साबित कराया गया है। इस साक्ष्य विश्लेषण में यह स्थिति प्रकट हो रही है कि विद्युत चोरी के आरोप को साबित होने के लिये अभियोजन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्ष्यों से विद्युत चोरी के अपराध की विशिष्टियां साबित नहीं हो रही हैं।

17. पत्रावली में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड कन्नौज, जनपद कन्नौज द्वारा निर्गत पत्र दिनांकित 07.01.2025 के अनुसार उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त शिव नरायन पुत्र कन्हैया लाल निवासी सतौरा थाना तिर्वा जनपद कन्नौज द्वारा पंजीकृत अपराध में बकाया विद्युत बिल धनराशि का भुगतान रशीद संख्या–057386629208 व

057208034602 द्वारा दिनांक 29.11.2024 को जमा कर दिया है एवं राजस्व निर्धारण शुल्क 36,000/–रूपये रसीद संख्या–333585977162 द्वारा दिनांक 03.01.2025 व शमन शुल्क धनराशि मु.–20,000/–रूपये रसीद संख्या–333357480006 द्वारा दिनांक 03.01.2025 को जमा कर दिया गया है। इस मामले से सम्बन्धित समस्त शमन योग्य धनराशि जमा हो चुका है।

18. उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया धारा–138 विद्युत अधिनियम 2003 (अप्राधिकृत रूप से विद्युत कनेक्शन संयोजित किया जाना) साबित नहीं हुआ है। अतः विशेष सत्र परीक्षण संख्या–350/2018 राज्य बनाम शिवनरायन, अन्तर्गत धारा–138 विद्युत अधिनियम 2003 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–779/2017 थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज में अभियुक्त **शिव नरायन** आरोपित अपराध में दोषमक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–350/2018 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–779/2017 थाना तिर्वा, जनपद कन्नौज के आरोप अन्तर्गत **धारा–138 विद्युत अधिनियम 2003** से अभियुक्त **शिव नरायन** को **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है।

अभियुक्त के जमानत प्रपत्रों को निरस्त करते हुये प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत बीस हजार रूपये की एक जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिबन्ध पत्र दाखिल करे।

दिनांक–28.03.2026 (हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।
J.O.Code– UP6489

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक–28.03.2026 (हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।
J.O.Code– UP6489